

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय,  
"कामगार भवन"ई -ब्लॉक, सी-२०,  
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू),  
मुंबई- ४०० ०५१.  
दिनांक - ०५.०८.२०१९


क्र. प्र.वि./कि.वे.अ/वि.भ./२०१९-२/कार्या-१० किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत खालील अनुसूचित उद्योगातील कामगारांकरिता विशेष भत्त्याची रक्कम दि. ०१.०७.२०१९ ते दि. ३१.१२.२०१९ या कालावधीकरिता जाहीर करण्यात येत आहे.

| अ. क्र. | अनुसूचित उद्योगाचे नाव  | सर्व परिमंडळांकरिता विशेष भत्त्याची रक्कम | कालावधी     |
|---------|---|---|-------------|
| १       | २   | ३   | ४           |
| १       | मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायवादीच्या आस्थापनातील अधिवक्ते किंवा न्यायवादी यांचा अधिसंघ संस्था व विधी व्यवसायाच्या संबंधित आस्थापनेतील कामधंदा | ४,३६८/-                                   | प्रती महिना |
| २       | मोटार दुरूस्ती कार्यशाळा उद्योग   | ५,१५२/-                                   | प्रती महिना |
| ३       | बेकरी उद्योग  | २,३१४/-                                   | प्रती महिना |
| ४       | कापूस पिंजणे व दाबणे उद्योग   | ४,८३०/-                                   | प्रती महिना |
| ५       | कापड रंगविणे, छपाई उद्योग   | ५,११९/-                                   | प्रती महिना |
| ६       | काजू प्रक्रिया उद्योग   | २,४९६/-                                   | प्रती महिना |
| ७       | कागदी, गवती पुड्यापासून खोकी तयार करणारा उद्योग   | ४,४५५/-                                   | प्रती महिना |
| ८       | रासायनिक खते बनविणारा उद्योग  | ४,९५०/-                                   | प्रती महिना |
| ९       | कॅन्टीन आणि क्लब उद्योग   | ४,१४४/-                                   | प्रती महिना |
| १०      | सिमंट व सिमेंटवर आधारित उद्योग  | ४,९११/-                                   | प्रती महिना |
| ११      | रस्ते तयार करणे, देखरेख करणे, बांधकाम उद्योग  | ५,२५४/-                                   | प्रती महिना |
| १२      | चित्रपट प्रदर्शनाचा उद्योग  | ४,६८०/-                                   | प्रती महिना |
| १३      | सायकल यांत्रिकी कार्यशाळेतील कामधंदा  | ४,७२५/-                                   | प्रती महिना |
| १४      | दवाखाना उद्योग  | ४,२९२/-                                   | प्रती महिना |
| १५      | औषधी द्रव्ये व औषध बनविणारा उद्योग  | ४,१४४/-                                   | प्रती महिना |
| १६      | दुग्धालय (डेअरी) उद्योग   | ५,०६०/-                                   | प्रती महिना |
| १७      | लिखाणाच्या वह्या बनविणारा उद्योग  | ३,२५६/-                                   | प्रती महिना |
| १८      | खाण्याचा तंबाखू उद्योग  | ४,३८८/-                                   | प्रती महिना |
| १९      | अभियांत्रिकी उद्योग   | ४,१४४/-                                   | प्रती महिना |
| २०      | कारखाने अधिनियम, १९४८ च्या कलम २ पोट कलम (एम) या व्याख्येतील कारखाने  | ४,७२५/-                                   | प्रती महिना |
| २१      | शाईपेन व बॉलपेन बनविणारा उद्योग   | ५,५३२/-                                   | प्रती महिना |
| २२      | चित्रपट निर्मिती उद्योग   | ५,४००/-                                   | प्रती महिना |
| २३      | काच बल्ब बनविणारा उद्योग  | ४,१४४/-                                   | प्रती महिना |
| २४      | काच उद्योग  | ४,१४४/-                                   | प्रती महिना |
| २५      | निवासी हॉटेल व उपहारगृह उद्योग  | ४,१४४/-                                   | प्रती महिना |
| २६      | केश कर्तनालय उद्योग   | ४,१४४/-                                   | प्रती महिना |
| २७      | रूग्णालय उद्योग   | ४,८५६/-                                   | प्रती महिना |
| २८      | बर्फ व शितपेय बनविणारा उद्योग   | ४,२८३/-                                   | प्रती महिना |
| २९      | मद्य उत्पादनातील रोजगार   | २,५४८/-                                   | प्रती महिना |
| ३०      | धोबीकाम उद्योग  | ४,१४४/-                                   | प्रती महिना |
| ३१      | चष्मा चौकटी बनविणारा उद्योग   | ४,८६०/-                                   | प्रती महिना |
| ३२      | तेल गिरणी उद्योग  | २,४९२/-                                   | प्रती महिना |
| ३३      | कागद व कागदी पुड्या बनविणारा उद्योग   | ४,७७३/-                                   | प्रती महिना |
| ३४      | प्लास्टिक उद्योग  | ४,७२५/-                                   | प्रती महिना |
| ३५      | पेंट व वॉर्निश बनविणारा उद्योग  | ४,१४४/-                                   | प्रती महिना |



|    |  |         |             |
|----|--|---------|-------------|
| ३६ | पोहे, चुरमुरे व कुरमुरे बनविणारा उद्योग  | ५,११९/- | प्रती महिना |
| ३७ | यंत्रमाग उद्योग  | ३,३०६/- | प्रती महिना |
| ३८ | मुद्रण उद्योग  | ४,६४६/- | प्रती महिना |
| ३९ | सार्वजनिक मोटार वाहतूक उद्योग  | ५,११९/- | प्रती महिना |
| ४० | तयार कपडे बनविणारा उद्योग  | ४,२९२/- | प्रती महिना |
| ४१ | रबर उद्योग   | ४,१४४/- | प्रती महिना |
| ४२ | भात, पीठ व डाळ गिरणीतील उद्योग   | ५,११९/- | प्रती महिना |
| ४३ | रबरी फुगे बनविणारा उद्योग  | ५,११९/- | प्रती महिना |
| ४४ | पोलादी सामान बनविणारा उद्योग   | ४,१४४/- | प्रती महिना |
| ४५ | सिप्टा उद्योग  | ४,१७२/- | प्रती महिना |
| ४६ | दगड फोडणे व खडी करणे उद्योग  | २,००२/- | प्रती महिना |
| ४७ | सौंदर्य प्रसाधने व साबण बनविणारा उद्योग  | ४,१४४/- | प्रती महिना |
| ४८ | दुकाने व व्यापारी आस्थापना उद्योग (दि. ०१.०७.२०१९ ते २३.०७.२०१९)   | ४,४८२/- | प्रती महिना |
|    | (दि. २४.०७.२०१९ ते ३१.१२.२०१९)   | ३९०/-   | प्रती महिना |
| ४९ | सफाईगार व मेहतर कामधंदा  | २,६१८/- | प्रती महिना |
| ५० | लाकूड कटाई उद्योग  | १,९६४/- | प्रती महिना |
| ५१ | कातडी कमावणे व चामड्याच्या वस्तू तयार करणे   | २,८०८/- | प्रती महिना |
| ५२ | धातूची भांडी बनविणारा उद्योग   | ४,७३६/- | प्रती महिना |
| ५३ | लाकडी फोटो चौकट बनविणारा उद्योग  | ४,१४४/- | प्रती महिना |
| ५४ | लाकडी फर्निचर बनविणारा उद्योग  | ४,१४४/- | प्रती महिना |
| ५५ | घड्याळाचे पट्टे बनविणारा उद्योग  | ५,११९/- | प्रती महिना |
| ५६ | हातमाग उद्योग  | २,३९२/- | प्रती महिना |
| ५७ | मातीची भांडी बनविणारा उद्योग   | २,३९२/- | प्रती महिना |
| ५८ | वन व वनशास्त्र विषयक रोजगार  | ४,५६५/- | प्रती महिना |
| ५९ | चांदी उद्योग   | ४,९५०/- | प्रती महिना |
| ६० | तंबाखू (बिडी) उद्योग   | १,९१९/- | प्रती महिना |
| ६१ | स्थानिक स्वराज्य संस्था अ) ग्रामपंचायत   | ३,७००/- | प्रती महिना |
|    | ब) ग्रामपंचायत वगळून   | ४,७६०/- | प्रती महिना |
| ६२ | रंग व रसायने बनविणारा उद्योग   | २,९४४/- | प्रती महिना |
| ६३ | विटा व कौले बनविण्याच्या कारखान्यातील कामधंदा  | २,७०४/- | प्रती महिना |
| ६४ | म्हशी किंवा गाई किंवा दोन्ही जेथे दूध काढण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी, चारा घालण्यासाठी आणि इतर सर्व अनुषंगिक प्रक्रियासाठी ठेवण्यात येतात, अशा कोणत्याही जागेतील कामधंदा (तबेला) | २,६००/- | प्रती महिना |
| ६५ | मिठागरातील कामधंदा   | ४,७२५/- | प्रती महिना |
| ६६ | शेतकी कामधंदा  | १,७८२/- | प्रती महिना |
| ६७ | कांदे साफ करणे उद्योग  | ६७/-    | प्रती दिन   |

विशेष भत्त्याची रक्कम सर्व परिमंडळाकरिता प्रत्येक अनुसूचित उद्योगासमोर दर्शाविण्यात आली आहे.



(अ.द.डाडकर)  
कामगार उप आयुक्त, (ग्रा.वि.), मुंबई  
व सक्षम प्राधिकारी,  
किमान वेतन अधिनियम, १९४८